न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

रण सं. 273/2002
स्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
र्णय दिनांक 24.01.2020

1. बृजेन्द्रसिंह पुत्र घंसी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

वादी

बनाम

1. श्यामलाल (मृतक) पुत्र जवाली जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

1/1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

1/2 त्रिसला पुत्री श्यामलाल पत्नि बच्चू जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

1/3 कुसुम पुत्री श्यामलाल पत्नि परसराम जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

2. प्रभुदयाल पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
3. सोहनसिंह पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

4/1 मनोज कुमार पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

4/2 जवालसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

4/3 रघुराजसिंह पुत्र पूरनसिंह जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

4/4 सीमा पुत्री पूरनसिंह जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

4/5 सुमन पुत्री पूरनसिंह जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

4/6 साधना पुत्री पूरनसिंह जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

5 दिगंबर पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

6. नाहरसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

7. जवाहरसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

8. भंवरसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

9. महाराजसिंह पुत्र बहोरी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बाबूलाल पुत्र बहोरी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

1. हरीसिंह पुत्र बहोरी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

12. छिंगा पुत्र टुण्डा (मृतक) जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

12/1 गंगादेई बेवा छिंगा जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

12/2 अमरसिंह पुत्र छिंगा जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

12/3 भगवती पुत्री छिंगा जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

12/4 हरवती पुत्री छिंगा जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

13. लालाराम पुत्र टुण्डा जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

14. सोहनलाल पुत्र टुण्डा जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक

16. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री नन्नूराम शर्मा एड0

श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. वादीगण प्रतिवादीगण सभी बालिक स्वस्थचित्त है। दावा लडने योग्य है।
2. यह है कि विवादित आराजी हाल खसरा न. 1397 रकवा 8 बीघा 6 विस्वा जो कि साविक खसरा नम्बरान 1110 रकवा 11 बीघा 19 विस्वा, 1102 रकवा 17 विस्वा, 1103 रकवा 4 विस्वा किता 3 कुल रकवा 13 बीघा होता है, से मिलकर बना है, इसी प्रकार हाल खसरा नम्बरान 1403 रकवा 4 बीघा 2 विस्वा व 1406 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 1408 रकवा 3 बीघा 9 विस्वा है , जो कि साबिक खसरा नम्बरान क्रमशः 1116 रकवा 6 बीघा 8 विस्वा, 1119 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा, 1121 रकवा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने हैं, स्थित ग्राम ऐंचेरा तहसील नदबई वादी की हिस्सानुसार कब्जेकाश्त व खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है, जिस पर वह विरासतन काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

यह है कि संबत 2012 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने के समय व जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट संवत 2016 के पूर्व आराजी मुत. वादी के दत्तक पिता स्वर्गीय कल्ला के कब्जे काश्त व खुदकाश्त में दर्ज थी, जैसा कि पेश कर्दासाविक रिकॉर्ड से साबित है, जिसकी विनाय पर उन्हें खतेदारी अधिकार प्राप्त होने चाहिये थे परंतु दौरान बन्दोवस्त प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के बन्दोवस्त कर्मचारीयों से साज कर अपने नाम काश्त के इन्द्राज दर्ज करा लिये जो कि बिना किसी युक्तियुक्त प्रमाण के दर्ज किये गये थे, जो वादी के स्वर्गीय पिता के विरूद्ध दुर्भावना एवं बदनीयती से दौराने बन्दोवस्त उठाया गया गैरकानूनी कदम था।

4. यह है कि दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादीगण के पिता तथा स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अधिकारों के विरूद्ध की गयी कारिस्तानी अवैद्य एवं खिलाफ कानून है, और वादी अपने कानूनी अधिकारों के मुताबिक बन्दोबस्त के दरम्यान किये गये राजस्व इन्द्राजातों को कलमजन कराकर अपने हक में दुरूस्ती कराने का मुश्तहक है।
5. यह है कि प्रतिवादीगण ने बन्दोवस्त के दौरान किये गये अवैद्य इन्द्राजात की विनाय पर न्यायालय श्रीमान में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अपने हकं में विभाजन की डिक्री भी प्राप्त कर ली है, और जरिये इन्तकाल डिक्री संख्या 473, 467 नामांतकरण तस्दीक कराकर बन्दोवस्ती इन्द्राज को तब्दील करा दिया है , जो कि वादी के विधिक अधिकारी के विरूद्ध ऐवोनिसयोवाईड है, व वातिल व बेअसर है, और वादी के अधिकारों तक काबिल कलमजन के हैं।
6. यह है कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से व कब्जे की उक्त आराजी मुत. से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है परंतु वर्तमान राजस्व अभिलेख की गलत प्रविष्टियों की विनाय पर अब उनके दिल में बदयांति आ गयी है, उन्होंने दिनांक 10.09.2002 को वादी को नाहक धमकी दी है कि वह अब अपने मकसद में कामयाव हो गये हैं, यही वजह से वादी को आराजी मुत. पर उसके सम्पूर्ण हिस्से पर काश्त नहीं करने देंगे और जबरन वेदखल कर देंगे। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके पश्चात वादी ने साबिक व हाल रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की हैं, यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी की सख्त हकतलफ़ी होगी, अजीम नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।
7. यह है कि विनाय मुखास्मत दावा योम देने धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 10.09.2002 को व इसके पश्चात होने इल्म राजस्व रिकॉर्ड से व प्राप्त करने सावित रिकॉर्ड से पैदा होकर हक नॉलिस प्राप्त हुआ है।
8. यह है कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से श्रीमान को वाद–पत्र श्रवण का अधिकार हासिल है।
9. यह है कि कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार चस्पा करके पेश के हैं।
10. अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न तरीके से डिक्री फरमाया जावे–

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

कि घोषणा इस प्रकार जारी की जावे कि वादी आ.मुत. में अपने दत्तक पिता के स्थान पर वरासतन खातेदार काश्तकार काविज है, और दौराने बन्दोवस्त प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुये इन्द्राजात को अपने हक तक दुरूस्त करा पाने का मुश्तहक है, बन्दोबस्ती इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को आराजी मुत. पर खातेदार घोषित किया जावे।

ब. यह कि प्रतिवांदीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावे कि वे वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मुद्र. में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करें व ऐसा कोई फल नहीं करें कि जिससे वादी के कानूनी अधिकारों पर जवाल आवे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11,व 13,14 की ओर से रघुवीरशरण एडवोकेट उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी सं. 12 लगायत 12/4 की ओर से रतिराम एडवोकेट उपस्थित हुये। शेष प्रतिवादी सं. 15, व 16 उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 ने अपने जबाब दावा में वर्णित किया कि

1. यह है कि मद सं. 3 दावा वादी में सभी तथ्य वादी ने असत्य तहरीर किये हैं, जो हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। हम प्रतवादीगण का रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन राज. टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप सही हो रहा है। किसी प्रकार से अवैद्य तरीके से अंकन नहीं हुआ है। वादी ने सभी तथ्य गलत तरीके से विवेचन किये हैं। बन्दोवस्त विभाग ने तो काश्त के इन्द्राजात ही समाप्त कर दिये थे, ये तथ्य वादी की स्वयं की उपज है। जो किसी प्रकार से मान्य नहीं है, जो वादी की बदयांती को दर्शाती है।
2. यह है कि मद सं. 4 दावा वादी में सभी तथ्य वादी ने असत्य तहरीर किये हैं, जो हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। सैटिलमेन्ट से पूर्व भी हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। सैटिलमेन्ट से पूर्व भी हम प्रतिवादीगण के खातेदारी की इन्द्राजात विवादित आराजी पर थे, तथा वादी हम प्रतिवादीगण के इन्द्राजात को कलमजन कराने का अधिकारी नहीं है। तथा दावा वादी काविल खारिजी के है।
3. यह है कि मद सं. 5 दावा वादी में विवादित आराजी तथा अन्य आराजीयात के संबंध में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अंतर्गत धारा 88,89, 188 राज. टीनेन्सी एक्ट के तहत दावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत होना हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है। इसमें वादी स्वयं पक्षकार था, तथा उसकी सहमति तथा जबावदारी से दावा डिक्री हुआ है। इसलिये वादी इस वाद पत्र के माध्यम से वादी उक्त डिक्री की ऐवोनिशो वोईड कराने की अधिकारी नहीं है। तथा दावा वादी काबिल खारिजी के हैं। तथा जब तक वादी पूर्व की डिक्री को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेता हे तब तक वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।
4. यह है कि मद सं. 6 दावा वादी में सभी तथ्य वादी ने असत्य एवं मनबगढन्त तहरीर किये हैं, जो हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। हम प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.09.2002 व अन्य किसी तिथि को वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है, और हम प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

अपनी खातेदारी अनुसार आराजी पर काबिज है। अतः वादी हम प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।

5. यह है कि प्रतिवादीगण एवं वादी के मध्य विवादित आराजी एवं अन्य आराजी जो पूर्वजों की है। के संबंध में श्रयायालय श्रीमान सहायक कलक्टर नदबई में राजस्व वाद सं. 291/96 उनवानी श्यामलाल वगैरा बनाम भंवरसिंह अंतर्गत धारा 88,89,व 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत हुआ, जिसमें वादी वृजेन्द्रसिंह के वकील श्री नन्नूराम शर्मा प्रतिवादीगण की तरफ पैरवी कर रहे थे। ने जबाब दावा एवं इकवाल प्रस्तुत करके दिनांक 30.07.98 को उक्त न्यायालय ने दोनों पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त मैरिटस पर निर्णय पारित किया, जिसमें प्रतिवादी बृजेन्द्रसिंह, जो वादी है, अपने हिस्से अनुसार खातेदार बदस्तूर रहेंगे, तथा विवादित आराजी में खसरा न. 1397 का धारा 53 राज.टीनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर दिया गया था, तथा उनका बंटबारा के अनुसार रिकॉं में खातेदारी अंकित है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त डिक्री सं. 291/96 को इसवाद पत्र के मध्यम से नल एण्ड वोईड घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि वादी दावा एवं निर्णय के समय पक्षकार था तथा स्वयं उपस्थित था, ऐसी स्थिति में जब तक उक्त डिक्री सं. 291/96 को सक्षम न्यायालय से कैन्सिल नहीं करा पा लेता है, तब तक वादी न्यायालय से किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि इसमें धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत रेज्यूडीकेटा के सिद्धांत लागू होता है इसलिये वाद वादी काबिल खारिजी के है।

6. यह है कि प्रतिवादी महाराजसिंह ने 1/18 हिस्सा जरिये वयनामा सोहनसिंह पुत्र नत्थी को विक्रय कर दिया जब तक वादी महाराज सिंह द्वारा किये गये विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेता तब तक न्यायालय से कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।

7. यह है कि वादी ने खसरा न. 1403, 1406, व 1408 के मूल खातेदार काश्तकार दिगम्बर, नाहरसिंह व जवाहर सिंह पुत्र श्री गुलकन्दी वेवा मिश्री को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये दावा वादी नॉनजोइन्डर के अभाव में काबिल खारिजी के हैं।

8. यह है कि विवादित आराजी खसरा न. 1403,1406, 1408 पर वादी का नामांतकरण सं. 421 दिनांक 11.06.96 से जरिये वसीयतनामा से मु. रामदेई के स्थान पर खातेदारी दर्ज हुयी है, इसलिये रामदेंई का पुत्र नही माना जा सकता। वादी को खातेदारी के अधिकारी मु. रामदेई को प्राप्त हो चुके हैं उस पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

9. यह है कि विवादित आराजी में संबत 2012 के पूर्व से ही वादी के पिता कल्ला व प्रतिवादीगण के पिता बहोरी सम्भाग के कब्जे काश्त मेंरी जो नियमानुसार हक प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्योंकि विवादित आराजी संबत 2012 की जमाबंदी में वादी व प्रतिवादीगण के पिता कल्ला व बहोरी खुदकाश्त में दर्ज हैं, तथा सम्भाग के हिस्सेदार है, जिस काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिये विवादित आराजी पर वादी हिस्सा 1/2 पर तथा प्रतिवादीगण सं. 8 लगायत 11 हिस्सा 1/2 पर खातेदारी के अधिकारों की घोषण करा पाने के अधिकारी हैं।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी गण के जबाब दावा के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयीं। जो निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

1. आया वादी विवादित भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करवा अपना इन्द्राजात करवाने का अधिकारी है– जिम्मेवादी
2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है – जिम्मेवादी
3. आया प्रकरण में पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू है – जिम्मेप्रतिवादी
4. आया वादी ने आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादी पेश रफत नहीं है– – जिम्मेप्रतिवादी
5. आया वादी डिक्री सं. 291/96 अंतर्गत धारा 88,89 व 188 आरटीए को सक्षम न्यायालय से केन्सिल नही करा लेता है तब तक वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी काबिल खारिजी के हैं– – जिम्मेप्रतिवादी
6. आया वादी रामदेई का पुत्र नहीं हैं तथा रामदेई के पति कल्ला व रामदेई ने वादी के हक में किसी प्रकार का गोदनामा तहरीर नहीं किया है। इसलिये वादी को कल्ला की आराजी के संबध में किसी प्रकार का दावा लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों कि वादी कल्ला का वारिस नहीं है। इसलिये दावा काबिल खारिजी के है– – जिम्मेप्रतिवादी

वादी ने अपनें वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबंत 2053–56 किता 2 वाके ग्राम ऐंचेरा प्रदर्श 1,2, नकल मिलान क्षेत्र फल संबत 2024–47 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संबंत 2012–15 वाके ग्राम ऐंचेरा प्रदर्श 4,5,6,8, नकल जमाबंदी संबंत 2020 वाके ग्राम ऐंचेरा प्रदर्श 7, पेश किये गये, तथा मौखिक बयान के रूप में वादी बिजेन्द्रसिंह पुत्र घंशी कौम जाट साकिन ऐंचेरा एवं मक्खन पुत्र परवो कौम जाट साकिन ऐंचेरा के बयान पेश किये गये। जिनसे वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गयी।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय डिक्री मुकदमा श्यामलाल बनाम भंवरसिंह वगैरा मुकदमा न. 291/96 निर्णय दिनांक 30.07.98 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई प्रदर्श A1 लगायत A5, नकल फैसला दिनांक 29.12.2004 अपील परवो बनाम श्यामलाल न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर प्रदर्श 5,6, नकल जमाबंदी संबंत 2049 वाके ग्राम ऐंचेरा पेश की गयी, तथा मौखिक बयान के रूप में सोहनलाल पुत्र टुण्डा जाति जाट साकिन ऐंचेरा एवं नाहरसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाट साकिन ऐंचेरा के बयान पेश किये गये जिनसे जिरह वादी बकील द्वारा की गयी।

बहस अंतिम उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की सुनी गयी, वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा न. 1397/8 रकवा 0.06 जिसके बंदोबस्त संबत 2028 के पूर्व के साबिक खसरा न. 1110,1102,1103 थे इसी प्रकार खसरा न. 1403, 1406, 1408 जिसके संबत 2020 के पूर्व खसरा न. 1116,1119,1121 हैं, वादी की हिस्से अनुसार कब्जेकाश्त पुश्तैनी आराजी है। जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट संबंत 2012 व जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट संबत 2016 के पूर्व उनके दत्तक पिता की खुदकाश्त में दर्ज थी। जैसा कि मैने मेरे द्वारा साबिक रिकॉर्ड पेश किया गया है जिस पर प्रदर्श डाले गये हैं। साबिक जमाबंदी संबत 2012 से 2015 के इन्द्राज से स्पष्ट है कि

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

खुदकाश्त बहोरी व सांझी,कल्ला पुत्र निहाला कौम जाट साकिन देह गैरमोरोसी साल 5 दर्ज वादी के दत्तक पिता आरटीए के फोर्स में आने से जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के तहत विवादित आराजी पर खुदकाश्त की हैसियत से काश्त करते रहे हैं। बंदोबस्त संबंत 2028 के पूर्व तक आराजी पर कब्जे में थे। परंतु दौराने बंदोबस्त संबत 2028 में प्रतिवादीगण के पिता व बाबा आदि ने वादी के पिता के नाम को कटवाकर अपने नाम के इन्द्राजात करा लिये जो एक असंवैधानिक कदम था। जबकि बंदोबस्त कर्मचारीयों का ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के पिता कल्ला के नाम दर्ज इन्द्राजात को कलमजन किया जाना अवैद्य व विधि प्रावधानों के विपरीत था। वादी ने उक्त इन्द्राजात को निरस्त कर अपने नाम खातेदारी की घोषण चाही है कि वादी आराजी में अपने दत्तक पिता कल्ला पुत्र निहाला निस्फ हिस्सा के स्थान पर विरासतन खातेदार काश्तकार काबिज है। दौराने बंदोबस्त संबंत 2028 प्रतिवादी गण के नाम दर्ज हुंये इन्द्राजात को अपने हक तक दुरूस्त कराने का मुस्तक है। बंदोबस्ती इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को आराजी मुतनाजा पर खातेदार घोषित किया जावे। उन्हें इस कदर पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे की आराजी पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करे। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मौखिक साक्ष्य भी पेश की है जिससे उसके कब्जे की ताहीद होती है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने वादी के वाद का खण्डन किया है। उनके नाम रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधान अनुरूप सही हो रहा है। किसी प्रकार से अवैद्य अंकन नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में गलत तरीके से विवेचन किया है। जिसका जबाब इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण ने संबत 2028 का उक्त इन्द्राज अपने नाम बंदोबस्त कर्मचारीयों से साज कर अपने नाम कराये हैं जो महत्वहीन हैं बंदोबस्त कर्मचारीयों को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब दावा में हवाला दिया है कि वादी का कोई संबंध में नहीं है विवादित आराजी सही अन्य आराजी थी जिस पर उनका आपसी विवाद था। इस डिक्री के कायम रहते एक अन्य वाद उनवानी परवी बनाम श्यामलाल भी डिक्री हुआ है। वह भी न्यायालय श्रीमान द्वारा डिक्री किया है। दूसरे डिक्री की अपील भी राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है जिससे वादी बाध्य नहीं है। वादी ने अपने पैतृक आराजी पर घोषणा खातेदारी चाही है जिसको प्रतिवादीगण ने दौरान ए बंदोवस्त अपने नाम तब्दील कराया था विवादित आराजी में निष्फ हिस्से का खातेदार मृतक बहोरी पुत्र चुन्नी भी था जिसके वारिस परिवादी संख्या 8,9,10 हैं जो वादी के हक में इकबाल दावा पेश कर चुके हैं इस प्रकार साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के मुताबिक वादीगण का वादपत्र डिकी फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादपत्र की मद संख्या 3 में वादी द्वारा विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कल्ला को दत्तक पिता बताया गया है एवं उसी आधार पर वादी द्वारा वाद दायर किया है जबकि वादी के गवाह पी.डब्लू 1 ने साक्ष्य के दौरान अपनी जिरह में कहा कि विवादित आराजी के पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार कल्ला ने वादी को कल्ला ने गोद नहीं लिया था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी तर्क दिया कि हिंदू उत्त्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 में किसी व्यक्ति के वारिसों की श्रेणी निर्धारित है। वादी उक्त धारा के तहत श्रेणी 1 का वारिस नहीं है जबकि मृतक कल्ला के सूची 1 की वारिस उनकी बेटियां है जिसमें मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी को मृतक कल्ला द्वारा गोद नहीं लिया गया है न ही कोई वसीयत लिखी गई थी। वसीयत कल्ला की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि द्वारा लिखी गई थी जिसे भी वादी के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

नहीं किया गया है जिससे वादी साबित कर सके कि वादी का विवादित आराजी में किस हक निहित है। प्रतिवादीगण वकील ने आगे कहा कि विवादित आराजी बाबत् इन्हीं पक्षकारों के च पूर्व में दावा निर्णित हो चुका है अतः इस मुकदमे पर "पूर्व न्याय" (रेस ज्यूडीकेटा) सिद्धांत लागू होता है। इसे सिद्ध करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एक्ज्यूट A 1 लगायत A 5 पेश किया। प्रतिवादीगण के वकील ने आगे तर्क दिया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में हैं एवं प्रविादीगण के ही कब्जेकाश्त में हैं। अन्त में प्रतिवादीगण वकील द्वारा वादी को मृतक कल्ला की विधिक वारिस उनकी बेटियों को मुकदमा पक्षकार नहीं बनाने, वादीगण द्वारा वादी का मृतक कल्ला के वारिस नही होने, मृतक कल्ला की अथवा अन्य कोई वसीयत पेश नहीं करने एवं समान आराजी समान पक्षकारों के बीच में पूर्व में मुकदमा निर्णित होने के कारण पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर दावा खारिज करने का निवेदन किया।

वादी के वकील ने रिमीटल में तर्क दिया कि पूर्व में ही इस आराजी बाबत् विचाराधीन मुकदमा विवादित खसरा नम्बरों के साथ अन्य कई खसरा नम्बर व इस मुकदमे के पक्षकारों व अन्य कई पक्षकारों के साथ विभाजन का दावा जबकि यह मुकदमा खातेदारी घोषण का है। अतः विचाराधीन मुकदमें पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

हमने वादी के वादपत्र, प्रतिवादीगण के जबाव, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी, तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार है :–

1. **आया वादी विवादित भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करवा अपना इन्द्राजात करवाने का अधिकारी है**– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी वकील का था। वादी द्वारा वाद पत्र की मद सं. 3 में विवादित आराजी के पूर्व में रिकॉर्डेड खातेदार मृतक कल्ला को अपना दत्तक पिता बताया है, जबकि वादी के साक्ष्य पीडब्लयू 1 श्री विजेन्द्रसिंह ने अपनी जिरह में बताया कि वादी को मृतक कल्ला ने गोद नहीं लिया मृतक कल्ला की पत्नि श्रीमति रामदेई द्वारा वादी के पक्ष वसीयत संपादित की है। लेकिन वादी द्वारा यह नही बताया गया कि मृतक कल्ला की पत्नि किस प्रकार विवादित आराजी की खातेदार थी। न ही कोई साक्ष्य पेश किया जिससे साबित होता हो कि विवादित आराजी की खातेदार मृतक कल्ला की पत्नि थी। वादी द्वारा मृतक कल्ला की पत्नि द्वारा संपादित वसीयत भी पेश नहीं की गयी। वादी अपने उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः तनकी सं. 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।
2. **आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है** – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था तनकी सं. 1 के निर्णय के आधार पर वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करा सकता इसलिये उक्त तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।
3. **आया प्रकरण में पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू है** – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब व बहस में बताया कि विवादित आराजी बाबत् समान पक्षकारों के मध्य समान प्रकृति का वाद सं. 291/96 मुकदमा श्यामलाल बनाम भंवरसिंह निर्णय दिनांक 30.07.1998 से निर्णित किया जा चुका है। अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त इस मुकदमे पर लागू होने के कारण काबिल खारिज है, एवं अपने जबाब तर्क को

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

सिद्ध करने के लिये साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श A 1 लगायत A 5 के निर्णय की प्रति पेश किया है। वकील वादी द्वारा अपने बहस में बताया कि उक्त मुकदमा 291/96 श्यामलाल बनाम भंवरसिंह कई अन्य पक्षकारों व खसरा नम्बरान को शामिल करते हुये विभाजन का दावा था। अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त इस मुकदमे पर लागू नहीं होगा। हमने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जिससे साबित है कि पूर्व में विचाराधीन मुकदमा 291/96 श्यामलाल बनाम भंवरसिंह वगेरा कई अन्य पक्षकारों व खसरा नम्बरान वर्तमान पक्षकारों के साथ विभाजन का दावा था। जिसमें धारा 88 का उल्लेख केवल सहखातेदारों के वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने के लिये किया गया था। अतः वर्तमान विचाराधीन मुकदमे पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः तनकी सं. 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. **आया वादी ने आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादी पेश रफत नहीं है–** प्रतिवादीगण के वकील ने अपने जबाब बहस में बताया कि विवादित आराजी के पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार मृतक कल्ला की विधिक वारिस उनकी बेटियां हैं। जिनको मुकदमें में पक्षकार नहीं बनाया है, लेकिन प्रतिवादी वकील द्वारा इसको सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः तनकी सं. 4 को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे है।
5. **दादरसी–** दोनों पक्षकार हर्जा खर्चा दोनों वहन करें।
6. आया वादी डिक्री सं. 291/96 अंतर्गत धारा 88,89 व 188 आरटीए को सक्षम न्यायालय से केन्सिल नही करा लेता है तब तक वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी काबिल खारिजी के हैं– तनकी सं. 3 के निर्णय के आधार पर तनकी सं. 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।
7. आया वादी रामदेई का पुत्र नहीं है तथा रामदेई के पति कल्ला व रामदेई ने वादी के हक में किसी प्रकार का गोदनामा तहरीर नहीं किया है। इसलिये वादी को कल्ला की आराजी के संबध में किसी प्रकार का दावा लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि वादी कल्ला का वारिस नहीं है। इसलिये दावा काबिल खारिजी के है– तनकी सं. 1 में सिद्ध है कि वादी मृतक कल्ला का पुत्र नहीं है वादी द्वारा अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया गया है कि मृतक कल्ला ने वादी के पक्ष में कोई वसीयत नहीं लिखी है। वादी द्वारा अपने वादपत्र साक्ष्यजिरह व बहस में बताया कि मृतक कल्ला की पत्नि द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की है, लेकिन वादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में वसीयत पेश नहीं की है। अतः यह तनकी सं. 7 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के मद्धेनजर वादी का वादपत्र काबिल खारिज हैं। अतः वादी का वादपत्र सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीणा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी, नदबई

Scanned by CamScanner